भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं.3474**
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय: ई-एनएएम मंच का कार्यान्वयन**

3474: डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश और महाराष्ट्र के जलगांव जिले और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में ई-एनएएम मंच के कार्यान्वयन की राज्यवार क्या स्थिति है;

(ख) अब तक महाराष्ट्र के जलगांव जिले और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में कुल मिलाकर कितने बाजारों/मंडियों को ई-एनएएम मंच के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है;

(ग) ई-एनएएम मंच के साथ बाजारों/मंडियों को एकीकृत करने में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र के जलगांव जिले के विशेष संदर्भ में इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार के आगामी वर्ष में ई-एनएएम मंच के साथ एकीकृत की जाने वाली मंडियों की संख्या के लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र और विशेष रूप से जलगांव जिला इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान देता है; और

(ड.) महाराष्ट्र में किसानों की आय, बाजार पहुंच और व्यापार लेन-देन में पारदर्शिता पर ई-एनएएम के प्रभाव संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): सरकार राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसमें कृषि और बागवानी वस्तुओं का ऑनलाइन व्यापार किया जाता है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी मूल्य मिल सके। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य सहित ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत मंडियों की राज्यवार संख्या अनुबंध-I में दी गई है । महाराष्ट्र के जलगांव जिले और उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र में ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत मंडियों की संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) एवं (ग): उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र में अमरोहा और हसनपुर कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अमलनेर, चालीसगांव, चोपड़ा और जलगांव चार एपीएमसी हैं जिन्हें ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ उपरोक्त मंडियों के एकीकरण के दौरान कोई विशेष चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा।

(घ): सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 150 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य दिया है। 'प्रस्तावों की स्वीकृति और सहायता जारी करना' (धारा 7) से संबंधित संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, "राज्य सरकार के कृषि विपणन निदेशक या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक, जैसा भी मामला हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) को कृषि विपणन के प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। एसएलएससी निर्धारित प्रो-फॉर्मा में प्राप्त प्रस्ताव की जांच करेगी और प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए विचार करेगी।" यदि महाराष्ट्र सरकार से मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत करने के लिए नए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उन पर दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ङ): 31.10.2024 तक, 1.78 करोड़ किसान और 4250 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ई-नाम पर पंजीकृत हैं। यह प्लेटफॉर्म व्यापक बाजारों, रीयल टाइम मूल्य निर्धारण की जानकारी और ई-भुगतान प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलती है। गुणवत्ता ग्रेडिंग, प्रतिस्पर्धी बोली और मंडी की जानकारी प्रदान करके, ई-नाम किसानों को संसूचित निर्णय लेने और अपने मुनाफे को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। अब तक ई-नाम पर 379330.13 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है, जिसमें ई-भुगतान के माध्यम से 6615.2 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**अनुबंध-I**

## महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत मंडियों की राज्यवार संख्या

| क्र.सं. | राज्य | ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत मंडियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 33 |
| 2 | असम | 3 |
| 3 | बिहार | 20 |
| 4 | छत्तीसगढ | 20 |
| 5 | गुजरात | 144 |
| 6 | गोवा | 7 |
| 7 | हरियाणा | 108 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 38 |
| 9 | झारखंड | 19 |
| 10 | कर्नाटक | 5 |
| 11 | केरल | 6 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 139 |
| १३ | महाराष्ट्र | 133 |
| 14 | नागालैंड | 19 |
| 15 | ओडिशा | 66 |
| 16 | पंजाब | 79 |
| 17 | राजस्थान | 145 |
| 18 | तमिलनाडु | 157 |
| 19 | तेलंगाना | 57 |
| 20 | त्रिपुरा | 7 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 125 |
| 22 | उत्तराखंड | 20 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 18 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | |
| 1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 |
| 2 | चंडीगढ़ | 1 |
| 3 | जम्मू और कश्मीर | 17 |
| 4 | पुदुचेरी | 2 |
| | **कुल** | **1389** |

**अनुबंध-II**

**उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय क्षेत्र में मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया**

| क्र.सं. | मंडी | पंजीकृत किसान | पंजीकृत व्यापारी | पंजीकृत कमीशन एजेंट | पंजीकृत एफपीओ | व्यापार मात्रा (एमटी) | व्यापार मूल्य (करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमरोहा एपीएमसी | 134 | 245 | 3 | 7 | 42538.01 | 99.22 |
| 2 | हसनपुर एपीएमसी | 91 | 37 | 0 | 3 | 22875.01 | 40.94 |
| **कुल:** | | **225** | **282** | **3** | **10** | **65413.02** | **140.16** |

**महाराष्ट्र के जलगांव जिले में मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया**

| क्र.सं. | मंडी | पंजीकृत किसान | पंजीकृत व्यापारी | पंजीकृत कमीशन एजेंट | पंजीकृत एफपीओ | व्यापार मात्रा (एमटी) | व्यापार मूल्य (करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमलनेर | 27363 | 170 | 56 | 7 | 26741.34 | 46.66 |
| 2 | चालीसगांव | 193 | 38 | 38 | 3 | 1958.17 | 3.62 |
| 3 | चोपडा | 9110 | 112 | 21 | 4 | 26741.34 | 46.66 |
| 4 | जलगांव | 1237 | 473 | 273 | 18 | 5449.87 | 19.87 |
| **कुल:** | | **37903** | **793** | **388** | **32** | **60890.72** | **116.81** |

*****